



2 बीएचके किफ़ायती घर,

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

(प्रावधान 3A के तहत)

निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नीमराना में आवास

आवेदन भरने की अन्तिम तिथि 15 मई 2017



2 बीएचके
LIG ₹9.31
EWS ₹6.99
लाख में

लॉटरी द्वारा आवंटन

यूआईटी

भिवाड़ी द्वारा स्वीकृत परियोजना



78 220 77000
78 210 77000



2 बीएचके
LIG ₹9.31
EWS ₹6.99
लाख में

खुशियां होंगी अब और भी खास, पाएं कम कीमत पर अपना आवास.

‘शुभ गृह’ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3A के तहत रैवरेन्स ग्रुप की एक नवीन व उत्तम, अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना है। अपने बहु-आयामी विशेषताओं के साथ ‘शुभ गृह’, का निर्माण किया जा रहा है।

योजना के आकर्षण

- ❖ 90% तक आसान ऋण
- ❖ नीमराना कस्बे से फ्री टेक्सी सुविधा
- ❖ पात्र व्यक्तियों के लिए 6.5% तक ब्याज की सब्सिडी
- ❖ समस्त आधारभूत सुविधाओं युक्त आवासीय योजना
- ❖ खुला वातावरण
- ❖ लिफ्ट की सुविधा
- ❖ अन्य मूलभूत सुविधाएँ
- ❖ कम्पाउण्ड वाल मय मुख्य द्वार एवं सुरक्षा गार्ड

पात्रता और शर्तें

1. योजना का विवरण:

- I. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3A के तहत निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए फ्लैट्स के आवंटन हेतु आवेदन पत्र।
- II. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत निजी विकासकर्ता रेवेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एलएलपी द्वारा निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के फ्लैट्स खसरा नम्बर 194, 195, 197 एवं 198 ग्राम नीमराना, तहसील नीमराना, जिला अलवर (नीमराना-सिलारपुर रोड) पर बनाया जाना प्रस्तावित है। जिनका विवरण निम्न है:—

फ्लैट का प्रकार	फ्लैट का साईज	फ्लैट की कीमत ₹ में	पंजीकरण राशि ₹ में
निम्न आय वर्ग फ्लैट हेतु	558 वर्ग फीट	9,31,000/-	21,000/-
आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग फ्लैट हेतु	433 वर्ग फीट	6,99,000/-	11,000/-

2. पात्रता:

- I. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदन करते समय आवेदक को राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित/राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई एक संलग्न करना होगा।
- II. राज्य में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, मछुआरे, खनन श्रमिक राजस्थान राज्य का निवासी न होने की दशा में भी आवेदन कर सकते हैं।
- III. निम्न आय वर्ग फ्लैट्स हेतु आवेदक की वित्तीय वर्ष 2016—17 में वार्षिक आय ₹ 3.00 से ₹ 6.00 लाख तक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के ₹ 3.00 लाख तक होनी चाहिए।
- IV. आवेदक की आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- V. आवेदक स्वयं या उसकी पत्नी/पति या किसी आश्रित (अविवाहित बच्चे) के नाम राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीज़ होल्ड/फ्री होल्ड) नहीं होना चाहिए।
- VI. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक, आवेदन पत्र में बैंक का विवरण आवश्यक रूप से अंकित करें।
- VII. पात्रता की शर्तें पूरा करने पर पति/पत्नी दोनों अलग-अलग इस शर्त पर फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोनों के सफल होने पर केवल एक को ही फ्लैट आवंटित किया जाएगा।

3. आवेदक की आय :—

- I. आय संगणना आवेदक की स्वयं एवं सभी आश्रितों की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी।
- II. नौकरी पेशा आवेदक की सकल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र संबंधित नियोक्ता से प्रमाणित होना चाहिए। (प्रारूप संख्या 3)
- III. आवेदक के स्वयं नियोजित होने कि दशा में आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार, एसडीओ, अन्य कोई राजपत्रित अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित अथवा स्वयं के द्वारा प्रमाणित करवाकर नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। (प्रारूप संख्या 2)

4. आवेदन कैसे करें:-

- I. आवेदक निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भर कर अन्तिम तिथि तक आवेदन के साथ निम्न आय वर्ग के लिए ₹ 21,000 /- अक्षरे इक्विस हजार रुपये एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए ₹ 11,000 /- अक्षरे ग्यारह हजार रुपये की पंजीकरण राशि (बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट) के साथ जमा कराना होगा।
- II. शुभ गृह की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवेदन जमा कराने पर इसके साथ 100/- (एक सौ रुपये) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। (आवेदन शुल्क)
- III. आवेदन पत्र में आवेदक अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code बैंक का नाम मय शाखा के पूर्ण विवरण सहित उल्लेख करें। इसके अभाव में असफल आवेदक की पंजीकरण राशि उसके खाते में वापिस जमा करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की नहीं होगी।
- IV. बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, आवेदन पत्र एवं स्वयं का मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप में अंकित करें।
- V. पंजीकरण राशि **Reverence Infrastructure (India) LLP Affordable Project** के पक्ष में बैंकर्स चैक / डी.डी. द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र जमा केन्द्र पर-फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।
- VI. कम्पनी द्वारा समस्त भुगतान डीडी / बैंकर चैक / चैक के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे। भुगतान सीधे ही RTGS द्वारा "Reverence Infrastructure (India) LLP Affordable Project" के HDFC बैंक की शाखा सी-स्कीम के खाता संख्या 50200020349084, ISFC कोड HDFC0001585 में जमा कराया जा सकता है।
- VII. आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है (जिन मामलों में आवेदक अशक्त है, ऐसे मामलों में आवेदक अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता / सकती है।) आवेदक को आवेदन पत्र में किसी विवरण को काटने / मिटाने अथवा इस पर दोबारा (ओवर राइटिंग) लिखने की अनुमति नहीं है। ऐसा होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विकासकर्ता द्वारा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- VIII. किसी भी सशर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि:-

दिनांक 15 मई 2017 को सांय 5.00 बजे तक निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत जमा करवाया जा सकता है।

“शुभ ग्रह” परियोजना कार्यालय :
एफ-153-54, श्री राम प्लाजा, नीमराना, जिला - अलवर

6. आवंटन का परिणाम

- I. सफल आवेदकों के चयन हेतु लॉटरी दिनांक 31 मई, 2017 को तत्समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष निकाली जावेगी।
- II. सफल आवेदकों की सूची कार्यालय के मुख्य सूचना पटल पर भी देखी जा सकती है।
- III. सफल आवंटियों को आवंटन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे तथा ड्रा का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- IV. सफल आवंटन की स्थिति में आवेदक को फ्लैट की कुल कीमत का **शेष 10 प्रतिशत अगले 30 दिवस** के अंदर पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ जमा कराना होगा अन्यथा उनका आवंटन निरस्त करके पंजीयन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- V. असफल आवेदकों को उनकी पंजीयन राशि लॉटरी के पश्चात् 45 कार्य दिवस के भीतर बिना किसी ब्याज के बैंक खाते में लौटा दी जाएगी।

7. आवंटन की स्थिति में जमा कराए जाने वाले दस्तावेज़

- I. शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), निवास का प्रमाण यथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड।
- II. आवेदन पत्र में उल्लेखित खाते की बैंक पास बुक/खाते का पिछले एक वर्ष का विवरण की स्व प्रमाणित प्रति।
- III. वित्तीय वर्ष 2016-17 के आधार पर स्वयं एवं परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र
- IV. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/पैन कार्ड आदि में से कोई भी एक)

8. भुगतान की प्रक्रिया

निम्न आय वर्ग में आवंटन के पश्चात फ्लैट की कीमत की भुगतान प्रक्रिया निर्माण के निम्न चरणों के अनुरूप होगी:

क्र. सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि ₹ में
1	आवंटन के 30 दिवस में (पूर्व राशि ₹ 21,000/- को समायोजित करते हुये)	10%	72,100/-
2	मौके पर खुदाई का कार्य शुरू होने के समय	15%	1,39,650/-
3	प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर	10%	93,100/-
4	भूतल की छत डलने पर	10%	93,100/-
5	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	93,100/-
6	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	93,100/-
7	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	93,100/-
8	चुनाई का कार्य प्रारम्भ होने पर	10%	93,100/-
9	फर्श का कार्य शुरू होने पर	10%	93,100/-
10	कब्जा दिये जाने के समय	5%	46,550/-
	कुल:-	100%	9,31,000/-
11	सोसायटी/संस्था के लिए रख-रखाव हेतु प्रतिभूति जमा राशि (₹50/-प्रति फीट की दर से)		27,550/-

आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग में आवंटन के पश्चात फ्लैट की कीमत की भुगतान प्रक्रिया निर्माण के निम्न चरणों के अनुरूप होगी:

क्र. सं.	निर्माण चरण	भुगतान प्रतिशत में	भुगतान की राशि ₹ में
1	आवंटन के 30 दिवस में (पूर्व राशि ₹ 11,000/- को समायोजित करते हुये)	10%	58,900/-
2	मौके पर खुदाई का कार्य शुरू होने के समय	15%	1,04,850/-
3	प्लिन्थ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर	10%	69,900/-
4	भूतल की छत डलने पर	10%	69,900/-
5	प्रथम तल की छत डलने पर	10%	69,900/-
6	द्वितीय तल की छत डलने पर	10%	69,900/-
7	तृतीय तल की छत डलने पर	10%	69,900/-
8	चुनाई का कार्य प्रारम्भ होने पर	10%	69,900/-
9	फर्श का कार्य शुरू होने पर	10%	69,900/-
10	कब्जा दिये जाने के समय	5%	34,950/-
	कुल:-	100%	6,99,000/-
11	सोसायटी/संस्था के लिए रख-रखाव हेतु प्रतिभूति जमा राशि (₹50/-प्रति फीट की दर से)		21,500/-

9. निम्न कारणों से भरे हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे अथवा निरस्त कर दिये जावेंगे—

- I. प्रार्थी के पास स्वयं या पति/पत्नी अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दस्तक पुत्री के नाम से शहर में मण्डल नगरपालिका, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास किसी वर्ग या श्रेणी का होने पर।
- II. पैरा नं. 2 में वर्णित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने पर।
- III. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्य असत्य/त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवंटित मकान निरस्त कर दिया जावेगा।
- IV. अवयस्क व्यक्ति द्वारा या उसके नाम से आवेदन पत्र भरा पाये जाने पर।
- V. आवेदन पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट भरा हुआ होने की दशा में।
- VI. पंजीकरण राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के अलावा अन्य प्रकार से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करने पर।

10. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:—

- I. फ्लैट 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- II. आवंटी को विक्रय-विलेख के पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही फ्लैट का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा।
- III. सफल आवेदक को निम्न आय वर्ग के लिए ₹ 50/— प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रखरखाव राशि ₹ 27,500/— तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए ₹ 50/— प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रखरखाव राशि ₹ 21,500/— देनी होंगी, जो कि विकासकर्ता / नगर विकास न्यास / के पास परियोजना के रख-रखाव हेतु जमा रहेगी।
- IV. आवंटी का आवासीय फ्लैट से संबंधित सर्वजन उपयोगी क्षेत्रों की मरम्मत/देखभाल/ रख-रखाव तथा सामुहिक सुविधाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए आवंटियों द्वारा गठित एक पंजीकृत संस्था/सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य होगा।
- V. भविष्य में संस्था/सोसायटी द्वारा नियमित रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा नियमित रूप से जमा करानी होगी।
- VI. आवंटी द्वारा उक्त सोसायटी द्वारा सर्वजन उपयोगी क्षेत्र के रख-रखाव पर आने वाले समस्त खर्चों को सोसायटी के सदस्यों में आपस में बाँटे जाने पर हिस्से में आये मासिक खर्च का भुगतान करना होगा। जिसके लिए आवेदक की किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- VII. किसी भी प्रकार का कर/शुल्क यदि सरकार को देय होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
- VIII. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
- IX. आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे भारत सरकार से ब्याज में छूट का पुनःभरण नहीं होने के लिये विकासकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
 - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके तहत अधिकतम ₹ 6.00 लाख रुपये पर 6.5 प्रतिशत ब्याज की पुनःभरण राशि प्रार्थी के बैंक खाते में सीधे ही प्राप्त की जा सकेगी।
 - ब्याज में छूट के पुनःभरण हेतु बैंक द्वारा भारत सरकार की बैंक को प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा, वहाँ से स्वीकृति मिलने के पश्चात् सम्बन्धित बैंक द्वारा पुनःभरण की राशि आवंटी के लोन/ऋण खाते में बैंक द्वारा सीधे ही जमा कर दी जावेगी।
 - इस प्रकार फ्लैट की कुल कीमत में ब्याज पुनःभरण राशि की छूट प्रार्थी को सीधे ही प्रधानमंत्री जनआवास योजना के तहत प्राप्त होगी। यह राशि बैंक व भारत सरकार के निर्णय के आधार पर स्वीकृत होगी।

- इसके लिए विकासकर्ता पूरा प्रयास करेगा, किन्तु इसकी राशि प्राप्त होने में देरी अथवा प्राप्त नहीं होने के लिए विकासकर्ता किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

- X. राज्य/भारत सरकार के समय – समय पर प्रचलित नियम आवंटी पर लागू रहेंगे।
- XI. यदि कोई आवंटी अपना फ्लैट निरस्त कराना चाहता है तो उसे लिखित में आवेदन करना होगा व उसकी जमा राशि का पुर्न भुगतान (रिफण्ड) उस फ्लैट के अन्य आवंटी को आवंटन होने के पश्चात् उससे प्राप्त होने वाली राशि में से ही दी जावेगी। विकासकर्ता स्वयं के द्वारा प्रार्थी की जमा राशि का पुर्न भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- XII. आवंटी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर उसे विलम्ब अवधि की बकाया राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
- XIII. आवंटी द्वारा लगातार दो किस्तों के भुगतान नहीं किये जाने पर विकासकर्ता निरस्तीकरण हेतु आवंटी को 30 दिवस का नोटिस देकर उसका आवंटन निरस्त कर सकेगा। उसकी जमा राशि का पुर्न भुगतान (रिफण्ड) उस फ्लैट के अन्य आवंटी को आवंटित होने के पश्चात् उससे प्राप्त होने वाली राशि में से ही दिया जावेगा। विकासकर्ता स्वयं के द्वारा प्रार्थी की जमा राशि का पुर्न भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- XIV. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए आवेदन फार्म भरते समय महिला का नाम अथवा महिला एवं पुरुष दोनों का संयुक्त नाम होने की प्राथमिकता है।
- XV. 10 प्रतिशत राशि जमा होने के पश्चात् ही साथ आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।
- XVI. लॉटरी निकालने की तिथि व समय के लिए अन्य कोई सूचना प्रकाशित नहीं कराई जावेगी।
- XVII. भूमि का रूपांतरण मुख्यमंत्री जन-आवास योजना के लिए हो चुका है। उक्त परियोजना भूमि की मुख्यमंत्री जन-आवास परियोजना हेतु लीजडीड जारी की जा चुकी है। परियोजना के मानचित्र, अनुमोदन की प्रक्रिया में है।



CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA-2015

With Focus on EWS & LIG Housing
(For Urban Areas of Rajasthan)

विकासकर्ता

मैसर्स रैवरेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एल.एल.पी.

CIN No.: AAD-5999

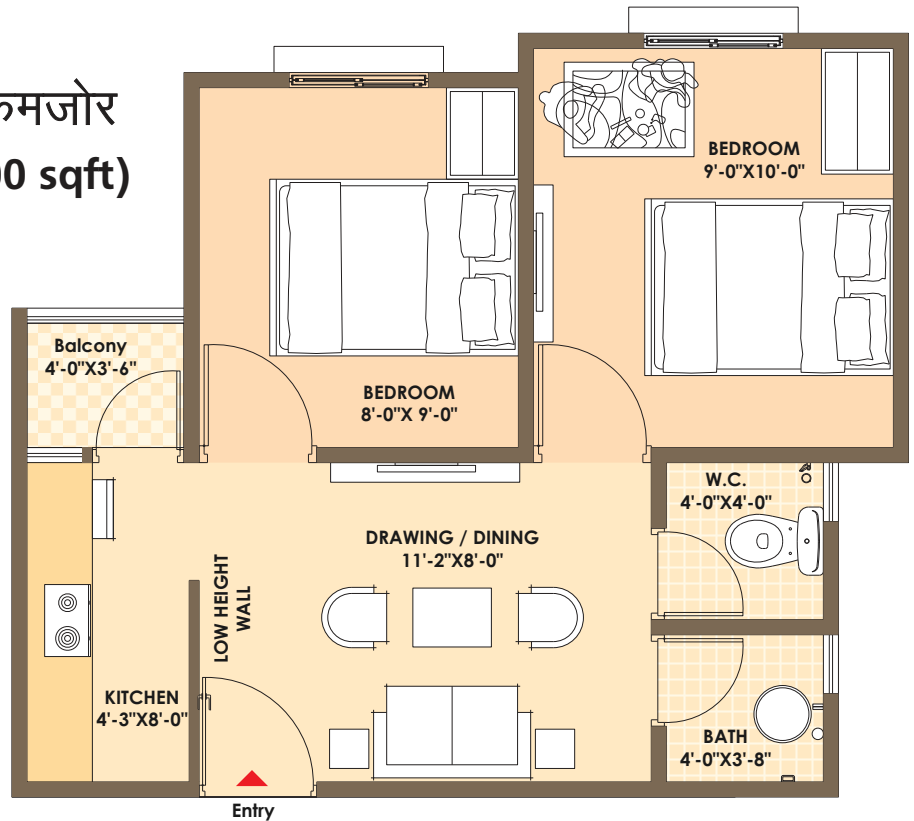
एफ-153-154, श्री राम प्लाजा

नीमराना, जिला - अलवर

प्रस्तावित यूनिट प्लान



आर्थिक रूप से कमजोर
EWS UNIT (433.00 sqft)
(लगभग)



(नोट:- कुल सुपर बिल्ट अप एरिया में परियोजना मानचित्र अनुमोदन के समय $\pm$ 2% तक बदलाव होने पर ईकाई की कीमत यथावत् रहेगी।)

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री

उम्र जाति निवासी

..... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से शहर में मण्डल नगरपालिका, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।

मुझ पर आश्रित किसी भी व्यस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री के नाम मण्डलनगर पालिका, नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित कोई भी मकान किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।

मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगरपालिका अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

.....

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री

निवासी

..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि

उपरोक्त पैरा 1 लगायत 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री
 उम्र जाति निवासी
सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

- यह कि हमारी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार है:-
 (अ) स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग, दुकान या अन्य स्रोतों से रुपये थी।
 (ब) मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार में भागीदारी उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रुपये है।
- यह कि हमारी कुल वार्षिक आय में हमारी रुपये है।

शपथ ग्रहिता
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा तथ्य जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

(प्रारूप-3)

आय प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी श्री इस विभाग में
 के पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय रु. है।

एस.डी.ओ./तहसीलदार/नियोक्ता
 सत्यापित

2 बीएचके किफ़ायती घर नीमराना में



प्रोजेक्ट से दूरी

नीमराना बस अड्डा - 2 कि.मी. | एन.एच. 8 - 2.5 कि.मी.
नीमराना तहसील - 1 कि.मी | नीमराना औद्योगिक क्षेत्र - 1.5 कि.मी



निर्माण स्थल:

ग्राम नीमराना, बावड़ी,
नीमराना—सिलारपुर रोड़,
अलवर (राजस्थान)

'शुभ गृह' परियोजना कार्यालय:

“रैवरेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एलएलपी”
एफ—153—154, श्रीराम प्लाजा,
नीमराना, जिला अलवर

आवेदन पत्र 'शुभ गृह', नीमराना

1. आवेदक का नाम : श्री / श्रीमती.....
2. पिता/पति का नाम : श्री.....
3. जन्म तिथि एवं आयु : आयु :
4. पूर्ण पता : पिन कोड :
5. मोबाइल नं. :
6. कार्यालय का नाम व पता :
7. आधार/भामाशाह कार्ड संख्या :
8. आवेदक के बैंक का नाम :
- शाखा के पूर्ण विवरण सहित :
9. आवेदक का बैंक खाता नं :
10. IFSC CODE No. :
11. सकल वार्षिक आय (वर्ष 15-16) अंको में शब्दों में
(आवेदक स्वयं एवं (पति/पत्नी) तथा
आश्रितों सहित सभी सदस्यों की) :
12. राशि जमा कराई गई बैंक का नाम
ड्राफ्ट संख्या दिनांक
13. रेफरेंस के विवरण : नाम
मोबाइल नं.

नवीनतम
रंगीन स्वयं
सत्यापित
फोटो

आवेदक सही खाता संख्या अंकित करें तथा इस खाते को आवंटन/रिफण्ड प्राप्त होने तक बन्द न करावें।
लॉटरी में असफल रहने पर यह सूचना आपके रिफण्ड को शीघ्र लौटाने में सहायक होगी।

रेवरेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एल.एल.पी. आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

आवेदन क्रमांक

श्री / श्रीमती पुत्र / पत्नी से
निजी विकासकर्ता Reverence Infrastructure (India) LLP की आवासीय परियोजना "शुभ गृह" खसरा नम्बर 194, 195, 197
एवं 198 ग्राम नीमराना, तहसील नीमराना, में निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैट हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का
आवेदन पत्र प्राप्त किया।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न

बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक..... बैंक का नाम

शाखा व शपथ पत्र संलग्न है।

(नोट:- उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

13. सत्यनिष्ठ-कथन (घोषणा)

- क. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है तथा मेरे/मेरे परिवार कार्ड में वर्णित सदस्यों ने निजी निवेशकर्ताओं की योजना "शुभ गृह" के लिए आवेदन किया है। तथ्य गलत पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावे।
- ख. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये आवंटन के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिख तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
- ग. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी या किसी भी आश्रित के पास या मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवार कार्ड में वर्णित सदस्यों के पास भी राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (50,000 से अधिक आबादी वाले) में कोई आवासीय भूखण्ड या मकान (लीजहोल्ड अथवा फ्री होल्ड) नहीं है।

14. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	आवेदक	सह आवेदक
1.	पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक।	आधार/भामाशाह कार्ड की छाया प्रति।
2.	आधार/भामाशाह कार्ड की छाया प्रति।	पैन कार्ड
3.	पैन कार्ड	मतदाता पहचान पत्र
4.	मतदाता पहचान पत्र	आय प्रमाण पत्र
5.	आय प्रमाण पत्र	3 फोटो
6.	3 फोटो	बैंक पासबुक
7.	बैंक पासबुक	

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदक का नाम:

शुभ गृह



**CHIEF MINISTER'S
JAN AWAS YOJANA-2015**

With Focus on EWS & LIG Housing
(For Urban Areas of Rajasthan)

विकासकर्ता :

मैसर्स रैवरेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) एल.एल.पी.

CIN No.: AAD-5999

एफ-153-54, श्री राम प्लाजा, नीमराना, जिला - अलवर